

11/12/25 पत्रावली आज पेश हुई। गर्भिणी व उनके
वकील अनुपासित। मूल वाद का निस्तारण
हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण
होने से गर्भिणी पत्र दिलग से चलाने
जाने का कोई औचित्य नहीं होने से
मूल वाद के साथ-साथ गर्भिणी पत्र
हकी हजर पर खारिज किया जाया है।
पत्रावली कुलल शुमार होकर दाखिले
दफ्तर हो स्वम नम्बर से कम हो।

12/12/25
सहायक कलक्टर
(SDO) सौहदन

